



समक्ष श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)

निगरानी | विदिशा | श्रू. रा। २०१८/०४६२ निगरानी प्र.क्र. ----- / 2017

1. मोहन सिंह, आयु लगभग 56 वर्ष
2. गोपीलाल, आयु लगभग 51 वर्ष  
दोनों पुत्रगण - श्री बलवंता, दोनों की जाति- नाई  
दोनों निवासीगण- ग्राम पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज,  
जिला विदिशा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- लोट अंगठ कृष्ण  
प्रदृश ११/१८*
- कमलेश, आयु लगभग 36 वर्ष  
आत्मज स्व. श्री रामप्रसाद, जाति सेन,  
निवासी- ग्राम पामाखेड़ी, तहसील सिरोंज,  
जिला विदिशा (म.प्र.)
  2. श्रीमती लीला बाई, आयु लगभग 41 वर्ष  
पुत्री स्व. श्री रामप्रसाद, पत्नी श्री जगदीश, जाति सेन,  
निवासी- माता मंदिर कॉलोनी, अशोक नगर,  
जिला अशोक नगर (म.प्र.)
  3. श्रीमती भूरीबाई, आयु लगभग 31 वर्ष  
पुत्री स्व. श्री रामप्रसाद, पत्नी श्री पप्पू सेन,  
निवासी- ककरुओ पठार, मण्डी बामोरा,
  4. श्रीमती पिस्ता बाई, आयु लगभग 29 वर्ष  
पुत्री स्व. श्री रामप्रसाद, पत्नी श्री प्रमोद, जाति सेन,  
निवासी- ग्राम ईटखेड़ी के पास, राताताल खजूरी,  
भोपाल (म.प्र.)
  5. श्रीमती प्रेमबाई, आयु लगभग 49 वर्ष  
पुत्री श्री बलवंता, पत्नी श्री भैरोसिंह, जाति नाई,  
निवासी- पचमा रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)
  6. श्रीमती उमा बाई, आयु लगभग 46 वर्ष  
पुत्री श्री बलवंता, पत्नी श्री महेश, जाति नाई,  
निवासी- गांधी पार्क, अशोक नगर (म.प्र.)
  7. प्रकाश बाई, आयु लगभग 43 वर्ष  
पुत्री श्री बलवंता, पत्नी श्री भाव सिंह,  
जाति नाई, निवासी- ग्राम मलियाखेड़ी,  
तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959


आवेदकगण राजस्व प्रकरण क्र. 154 / अप्रैल / 2015-16 में पारित आदेश  
दिनांक 08.12.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न  
तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

XXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/462

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८-१२-१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरि उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २६.२.१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(३)</p>	 प्रशासकीय सदस्य